न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक5.03.2020

मि.न.163/2019

सरकार बनाम हनुमानसिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनार ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के बनार तहसील कोटपूतली के ख0 न0 193है0 किस्म गै0मु0 पहाड में से 0.06 है0 भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर हनुमान सिंह, निहालसिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति अहीर निवासी बनार तहसील कोटपूतली ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा जबाब , दस्तावेज भी पेश नही किये गये। अतः आतिक्रमि के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायलान हनुमान सिंह , निहालसिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति अहीर निवासी बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम के बनार तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 193है0किस्म गै0मु0 पहाड में से 0.06 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बनाई गए पुख्ता मकान को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.64रू. का पचास गुणा 32रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner